



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर
फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक— 1956 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: 31 जनवरी, 2025.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय:—उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी० 0.050 से किमी 12.220 तक निर्माण हेतु 20.0849 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/140350/2021)

सन्दर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/०६/६७/२०२३/एफ०सी०, दिनांक-03.04.2024।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, अधिरोपित आपत्तियों की सूचना/आख्या वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1978/12-1 दिनांक 15.01.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा बिन्दुवार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

Sr.	EDS	Reply
i.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर-वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर-वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'in principle approval' under the Adhiniyam। अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर-वन भूमि का चयन कर (KML File, CA Scheme, Maps etc.) प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित 20.0849 है० वन भूमि के एवज में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत जनपद देहरादून, तहसील कालसी के अन्तर्गत ग्राम गडैता के खाता संख्या-44 के खसरा नं० 1 रकबा 12.000 है०, खसरा नं० 4 रकबा 3.000 है०, खसरा नं० 5 रकबा 8.000 है० व ग्राम थैना के खाता संख्या 87 के खसरा नं० 766 रकबा 10.000 है० तथा ग्राम लटौ के खाता सं० 91 के खसरा नं० 148 रकबा 8.000 है०, कुल रकबा 41.000 है० भूमि चयनित की गयी है। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा पत्र संख्या- 330/XIIA-20/डी०एल० आर०सी०/2024, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 से उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्तानुसार चयनित भूमि में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा प्रेषित प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव की योजना, के०एम०एल० फाईल डी०एस०एस० रिपोर्ट, टोपाशीट व जीयोरेफरेन्स मानचित्र एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र समोहर हस्ताक्षर सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं एवं उक्त दस्तावेज प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के भाग-1 में यथास्थान अपलोड कर लिया गया है।
ii.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि Wildlife Management Work and	बिन्दु संख्या 2 के अनुपालन में रु० 279.64 लाख धनराशि की वन्यजीव प्रबंधन योजना एवं रु० 77.102 लाख धनराशि की मृदा और नमी संरक्षण योजना संलग्न है व पोर्टल पर

Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित/निर्धारित की जायेगी, उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।	Additional column में अपलोड कर दी गई है। Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया। वचन पत्र संलग्न है।
--	---

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (यथासंशोधित नियम, 2023) के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।



संख्या :- 1956 /12-1 (दे०दू०) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

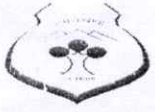


(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।



**कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।****पत्रांक- 1978/12-1 दिनांक, देहरादून 15 जनवरी, 2025**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी 0.050 से किमी 12.220 तक निर्माण हेतु 20.0849 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/140350/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8वी०/यू०सी०पी०/०६/६७/२०२३/एफ०सी०, दिनांक-03.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3062/12-1 दिनांक 10.01.2025 (छायाप्रति संलग्नक सहित) से प्रश्नगत आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

Sr.	EDS	Reply
i.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर-वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर-वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'in principle approval' under the Adhiniyam। अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर-वन भूमि का चयन कर (KML File, CA Scheme, Maps etc.) प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित 20.0849 है० वन भूमि के एवज में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत जनपद देहरादून, तहसील कालसी के अन्तर्गत ग्राम गडैता के खाता संख्या-44 के खसरा नं० 1 रकबा 12.000 है०, खसरा नं० 4 रकबा 3.000 है०, खसरा नं० 5 रकबा 8.000 है० व ग्राम थैना के खाता संख्या 87 के खसरा नं० 766 रकबा 10.000 है० तथा ग्राम लटौ के खाता सं० 91 के खसरा नं० 148 रकबा 8.000 है०, कुल रकबा 41.000 है० भूमि चयनित की गयी है। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा पत्र संख्या-330/XIIA-20/डी०एल० आर०सी०/2024, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 से उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्तानुसार चयनित भूमि में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा प्रेषित प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव की योजना, के०एम०एल० फाईल डी०एस०एस० रिपोर्ट, टोपाशीट व जीयोरेफरेन्स मानचित्र एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र समोहर हस्ताक्षर सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं एवं उक्त दस्तावेज प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के भाग-1 में यथास्थान अपलोड कर लिया गया है।

ii.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित/निर्धारित की जायेगी, उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।	बिन्दु संख्या 2 के अनुपालन में रू0 279.64 लाख धनराशि की वन्यजीव प्रबंधन योजना एवं रू0 77.102 लाख धनराशि की मृदा और नमी संरक्षण योजना संलग्न है व पोर्टल पर Additional column में अपलोड कर दी गई है। Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वचन पत्र संलग्न है।
-----	--	---

2. विषयांकित परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि का प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा दिनांक-07 जनवरी 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (In new format) में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम लटौ में चयनित 8.000 हे० भूमि का दिनांक 13.11.2024 को वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी पायी गयी, जिस कारण डी०एस०एस० रिपोर्ट में यह क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। उक्त सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया गया है कि उच्च क्षेत्र में कंटीली झाड़ियां आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक:- 1978 /12- तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग को उनके उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com

Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 3062/12-1

देहरादून, दिनांक- 10 / 01 / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.050 से किमी 12.220 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/140350/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी0/यू0सी0पी0/06/67/2023/एफ0सी0, दिनांक-03.04.2024 एवं महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, प0का0ई0-वसन्त विहार, देहरादून का पत्रांक-NHAI/PIU/W/2023/Jhajhra-Asharori/Forest/7988, दिनांक-24.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव में इंगित E.D.S. का प्रतिउत्तर प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है एवं ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक-10/01/2024 को उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्नवत् है :-

Sl. No.	EDS	Reply
i.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर-वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर-वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'in principle approval' under the Adhiniyam। अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर-वन भूमि का चयन कर (KML File, CA Scheme, Maps etc.) प्रेषित करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेत प्रस्तावित 20.0849 वन भूमि के एवज में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत जनपद देहरादून, तहसील कालसी के अन्तर्गत ग्राम गडैता के खाता संख्या-44 के खसरा नं0 1 रकबा 12.000 है0, खसरा नं0 4 रकबा 3.000 है0, खसरा नं0 5 रकबा 8.000 है0 व ग्राम थैना के खाता संख्या 87 के खसरा नं0 766 रकबा 10.000 है0 तथा ग्राम लटौ के खाता सं0 91 के खसरा नं0 148 रकबा 8.000 है0, कुल रकबा 41.000 है0 भूमि चयनित की गयी है। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा पत्र संख्या-330/XIIA-20/डी0एल0 आर0सी0/2024, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) से उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्तानुसार चयनित भूमि में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा प्रेषित प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव की योजना, के0एम0एल0 फाईल, डी0एस0एस0 रिपोर्ट, टोपोशीट व जीयोरेफरेन्स मानचित्र एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र समोहर हस्ताक्षर सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं एवं उक्त दस्तावेज प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के भाग-1 में यथास्थान अपलोड कर लिया गया है।

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0 12-1
रजिस्टर सं0 7896
दिनांक 13-1-2025

क्रमशः ...- 2

ii.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित / निर्धारित की जायेगी, उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।	बिन्दु संख्या 2 के अनुपालन में ₹ 279.64 लाख धनराशि की वन्यजीव प्रबंधन योजना एवं ₹ 77.102 लाख धनराशि की मृदा और नमी संरक्षण योजना संलग्न है व पोर्टल पर Additional column में अपलोड कर दी गई है (प्रति संलग्न)। Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वचन पत्र संलग्न है।
-----	---	--

2. विषयांकित परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-08 जनवरी 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (In new format) में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3. इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम लटौ में चयनित 8.000 है0 भूमि का दिनांक 13.11.2024 को वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी पायी गयी, जिस कारण डी0एस0एस0 रिपोर्ट में यह क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। उक्त सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया गया है कि उच्च क्षेत्र में कंटीली झाड़ियां आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।

अतः उपरोक्तानुसार विषयांकित प्रस्ताव में वांछित सूचना/आख्या/दस्तावेज महोदय की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(निरज कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

संख्या :- 3062/12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का0ई0-वसन्त विहार, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

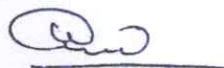
Name of Proposal - Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

The forest land proposed for diversion under the above proposal is inspected by the undersigned on January 07, 2025 with representative of User Agency, Forest Range officer, Asarori Range and other field staff. During the site inspection, the following details are observed. The information is provided as per the checklist:-

Sl.No.	Particular	Inspection Report By DFO Dehradun forest Division
1	Extent in hectares	20.0849 Ha.
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Start Point - 30°15'29.58" N, 78°58'41.88" E End Point - 30°20'4.14" N, 77°55'20.67" E
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	Reserve Forest
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Not demarcated but GPS locations are given And verified.
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	The proposed forest land for diversion primarily consists of Sal (<i>Shorea robusta</i>), along with miscellaneous species such as Rohini (<i>Mallotus philippensis</i>), Sagun (<i>Tectona grandis</i>), and Jamun (<i>Syzygium cumini</i>).
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	The area around the proposed forest land is ecologically significant due to the presence of various wildlife species. Key species include Leopard (Guldar), Cheetal Sambhar, Barking deer and Elephant, Common species such as monkey and wild boar are also found.
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	N/A
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	The area proposed for diversion falls within the following compartments, which are part of the Sal Working Circle as per the current working plan: Arcadia-1, Arcadia-3, Laldhang-1B, Laldhang-2A, Chandrbani-1, Chandrbani-



		2, and Chandrbani-3. Additionally, the area proposed for diversion within the Mohobewala-1 compartment falls under the Miscellaneous Working Circle as per the working plan.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	No
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	No
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area.	In this proposal, a total of 41.00 hectares have been proposed for compensatory afforestation in the villages of Gadaita, Thaina, and Latau, under the Kalsi Soil Conservation Division . The CA scheme, map, and suitability certificate are attached to the proposal and uploaded on the portal.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms.	The project location does not fall within any protected area; however, the area proposed for diversion is part of the Shivalik Elephant Reserve . The proposed land is situated 1.20 km aerial distance from the nearest boundary of the Rajaji Tiger Reserve. In this regard, the Chief Wildlife Warden's letter no. 455/12-1 dated 11.08.2021, attached to the proposal, mentions that there is no likelihood of any adverse impact on wildlife due to the project and expresses consent for the construction of the project in the public interest. Additionally, in accordance with the guidelines of the Government of India, reference number FC-2021/43/11FC , dated January 16, 2023 , the Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan is included in the proposal.
17	Dependence of tribal in the area. Whether the rights of the tribal have been recognized in this area.	No
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	People will get Road facility.



19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	N.A.
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	No
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	Yes, enclosed in proposal
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	No
23	Any other issue of significance.	No
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	<u>During the site inspection, it is observed that in the forest land proposed for diversion under the Asarodi Range, some forest land will remain as a strip between the human habitation and the proposed road after the construction of the motor road. This creates a strong possibility of encroachment in the future.</u> <u>It is therefore recommended that a wall of approximately 4,720 meters in length to be constructed along with the repair of an existing wall of 880 meters by the user agency at the project cost to safeguard the forest land from encroachment. The representative of the user agency present during the site inspection expressed consent for this measure.</u> <u>With the above condition, the proposal is recommended in the public interest.</u>

Date – Jan, 07, 2025


 (Neeraj Kumar)
 Division Forest Officer
 Dehradun Forest Division,
 Dehradun

आदेश

महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0 बसन्त विहार देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 7091 दिनांक 06.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर-वानिकी क्षेत्र में 41.000है0 भूमि भा0रा0रा0प्रा0 को उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया है। (पताका-क)

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग व उप जिलाधिकारी सदर देहरादून को प्रकरण में भूमि का संयुक्त निरीक्षण करते हुए आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। (पताका-ख)

प्रकरण में महोदय द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा दिनांक 12.10.2024 को तहसील कालसी के ग्राम गडैता, लखस्यार, लटौ, गास्की व थैना में 44.035है0 भूमि की आख्या/प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 को उप जिलाधिकारी कालसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कालसी को पत्र प्रेषित करते हुए प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कराते हुए सुस्पष्ट जाँच आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा अपने पत्र संख्या 182/रा0लि0//2024-25 दिनांक 11/12/2024 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में ग्राम गडैता लखस्यार, लटौ, कालसी, थैना में 44 है0 भूमि प्रस्तावित की गयी थी, जिसके क्रम में दिनांक 13.11.2024 को वन विभाग, राजस्व विभाग एवं एन0एच0ए0आई0 के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा सं0.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित उपयुक्त भूमि रकबा (है0 में)	श्रेणी
1	कालसी	गडैता	44	1	12.000	श्रेणी 5(3)(ड)-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि
				4	3.000	
				5	2.000	
2		थैना	87	766	10.000	
3		लटौ	91	148	8.000	
योग					41.000	

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (झाझरा) के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाली चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 41.00है0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण की मांग की गयी है। उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा अपने पत्र संख्या 182/रा0लि0//2024-25 दिनांक 11/12/2024 के साथ संलग्न राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या-111/XXVII(7)/50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या-1887/XVIII(II)/2015.18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या-496/XVIII(II)/2020-08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 की शर्तों एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशों में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार जनपद देहरादून



तहसील कालसी के अन्तर्गत ग्राम गडैत के खाता संख्या-44 के खसरा नं० 1 रकबा 12.000है०, खसरा नं० 4 रकबा 3.000है०, खसरा नं० 5 रकबा 8.000है० व ग्राम थैना के खाता संख्या 87 के खसरा नं० 766 रकबा 10.000है० तथा ग्राम लटौ के खाता संख्या 91 के खसरा नं० 148 रकबा 8.000है० कुल रकबा 41.000है० भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवंटित/हस्तांतरित किया जाता है:-

- 1- भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।
- 3- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।
- 4- हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।
- 5- यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 6- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।

उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह०/-

(सविन बंसल)

जिलाधिकारी

देहरादून।

20.12.2024

~~XIIA-20~~ कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या- 330/डी०एल०आर०सी०/2024 2623-26

दिनांक 24 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी देहरादून।
- 6- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- उप जिलाधिकारी, कालसी को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अमल दशमद की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 7- महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बसन्त विहार देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- कार्यालय प्रति।




प्रभारी अधिकारी/
कृते जिलाधिकारी देहरादून।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 13.11.2024 को कार्यालय उपजिलाधिकारी कालसी/चकराता/त्यूनी के पत्रांक -67/ना0ना0 2024 दिनांक 14 अक्टूबर 2024, जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या -982/डी0एल0आर0सी0-2024 दिनांक 05 अक्टूबर 2024 एवं भा0रा0रा0प्रा0 महाप्रबन्धक (तक0) प0का0ई0-वसन्त विहार देहरादून के कार्यालय पत्रांक -7460 दिनांक 01.10.2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण से सम्बन्धित आनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 के सम्बन्ध में गैर वानिकी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम गडैता व थैना तहसील कालसी रेन्ज कालसी में राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक, वन विभाग की ओर से उपवन क्षेत्राधिकारी, वन आरक्षी, भा0रा0रा0प्रा0 की ओर से डी0पी0आर0 कन्सल्टेन्ट (योंगमा) के स्थल अभियन्ता, भा0रा0रा0प्रा0 के नायब तहसीलदार एवं स्थल अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गडैता व थैना में राजस्व विभाग की सिविल भूमि उपलब्ध है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्त पायी गयी है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उपस्थित कर्मचारियों के हास्ताक्षर निम्नवत हैं। चयनित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स.	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विवरण
1	गडैता	1	12.0000	
		4	3.0000	
		5	8.0000	
2	थैना	766	10.0000	
		कुल	33.0000	

(अखिलेश कुमार) रा0उ0नि0 बडनू तह0 कालसी	(सरदार सिंह राणा) रा0नि0 तह0 कालसी	(परमालाल) उपवन क्षेत्राधिकारी भूमि संरक्षण कालसी (प्रथम)	(शुष्मा रावत) वन बीट अधिकारी भूमि संरक्षण कालसी (प्रथम)
(सुरेशानन्द भटकोटी) वन दरोगा चकराता वन प्रभाग शिवरेखे	(सतीश कुमार सिंह) स्थल अभियन्ता (योंगमा)	(सत्ये सिंह डवोला) नायब तहसीलदार (भा0रा0रा0प्रा0)	(सुमित कुमार सिंह) स्थल अभियन्ता (भा0रा0रा0प्रा0)

(हस्ताक्षर)
रा0उ0नि0 बडनू
तह0 कालसी

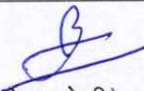
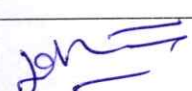
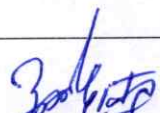
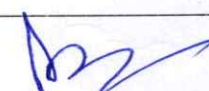
उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प0का0ई0-वसन्त विहार, देहरादून

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 13.11.2024 को कार्यालय उपजिलाधिकारी कालसी/चकराता/त्यूनी के पत्रांक -67/ना0ना0 2024 दिनांक 14 अक्टूबर 2024, जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या -982/डी0एल0आर0सी0-2024 दिनांक 05 अक्टूबर 2024 एवं भा0रा0रा0प्रा0 महाप्रबन्धक (तक0) प0का0ई0-वसन्त विहार देहरादून के कार्यालय पत्रांक -7460 दिनांक 01.10.2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण से सम्बन्धित आनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 के सम्बन्ध में गैर वानिकी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम लटौ तहसील कालसी रेन्ज चुरानी नागथात में राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक, वन विभाग की ओर से वन बीट अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी एवं भा0रा0रा0प्रा0 की ओर से डी0पी0आर0 कन्सल्टेन्ट (योंगमा) के स्थल अभियन्ता, भा0रा0रा0प्रा0 के नायब तहसीलदार एवं स्थल अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम लटौ में राजस्व विभाग की सिविल भूमि उपलब्ध है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्त पायी गयी है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उपस्थित कर्मचारियों के हस्ताक्षर निम्नवत है। चयनित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स.	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विवरण
1	लटौ	148	8.0000	
		कुल	8.0000	

 (मनीज नेगी) रा0उ0नि0 तह0 कालसी	 (सरदार सिंह राणा) रा0नि0 तह0 कालसी	 (धनीराम) वन बीट अधिकारी कालसी वन प्रभाग	 (आनन्द सिंह रावत) वन क्षेत्राधिकारी चुरानी नागथात कालसी वन प्रभाग
 (सतीश कुमार सिंह) स्थल अभियन्ता (योंगमा)	 (सत्ये सिंह डवोला) नायब तहसीलदार (भा0रा0रा0प्रा0)	 (सुमित कुमार सिंह) स्थल अभियन्ता (भा0रा0रा0प्रा0)	 उप प्रभागीय वन निरीक्षक, कालसी उप वन प्रभाग, कालसी


 परियोजना निदेशक/Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (बड़क परबहन राजमार्ग कालसी, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 का0आई0वु0-वसन्त विहार, देहरादून

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम—

उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 41.00 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की कालसी-प्रथम रेंज के अधीन ग्राम-गडैता में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 23.00 है0 उपयुक्त पायी गयी है।

(सुषमा रावत)

वन बीट अधिकारी,
कालसी-प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(परमालाल)

उप वन क्षेत्राधिकारी,
कालसी-प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(दिनेश कुकरेती)

वन क्षेत्राधिकारी,
कालसी-प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
बी0आइ0यू0-वमन्त विहार, देहरादून

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम—

उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 41.00 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की कालसी-प्रथम रेंज के अधीन ग्राम-थैना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 10.00 है0 उपयुक्त पायी गयी है।

(सुषमा रावत)

वन बीट अधिकारी,
कालसी-प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(परमालाल)

उप वन क्षेत्राधिकारी,
कालसी-प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(दिनेश कुकरेती)

वन क्षेत्राधिकारी,
कालसी-प्रथम रेंज,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रेंज

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी

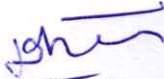
परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(बड़क परबहन राजमार्ग कालब, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पि0साई0नू0-वधन बिसर, देहरादून

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम—

उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 41.00 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की चुरानी रेंज, नागथात के अधीन ग्राम-लटौ में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 8.00 है0 क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 13.11.2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैण्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी हुई हैं, जिस कारण DSS रिपोर्ट में क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। उक्त क्षेत्र में कंटीली लैण्टाना झाड़ियां आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।



(धनीराम)

वन बीट अधिकारी,
चुरानी रेंज, नागथात
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।



(आनन्द सिंह रावत)

वन क्षेत्राधिकारी,
चुरानी रेंज, नागथात
उत्तराखण्ड भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।



उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

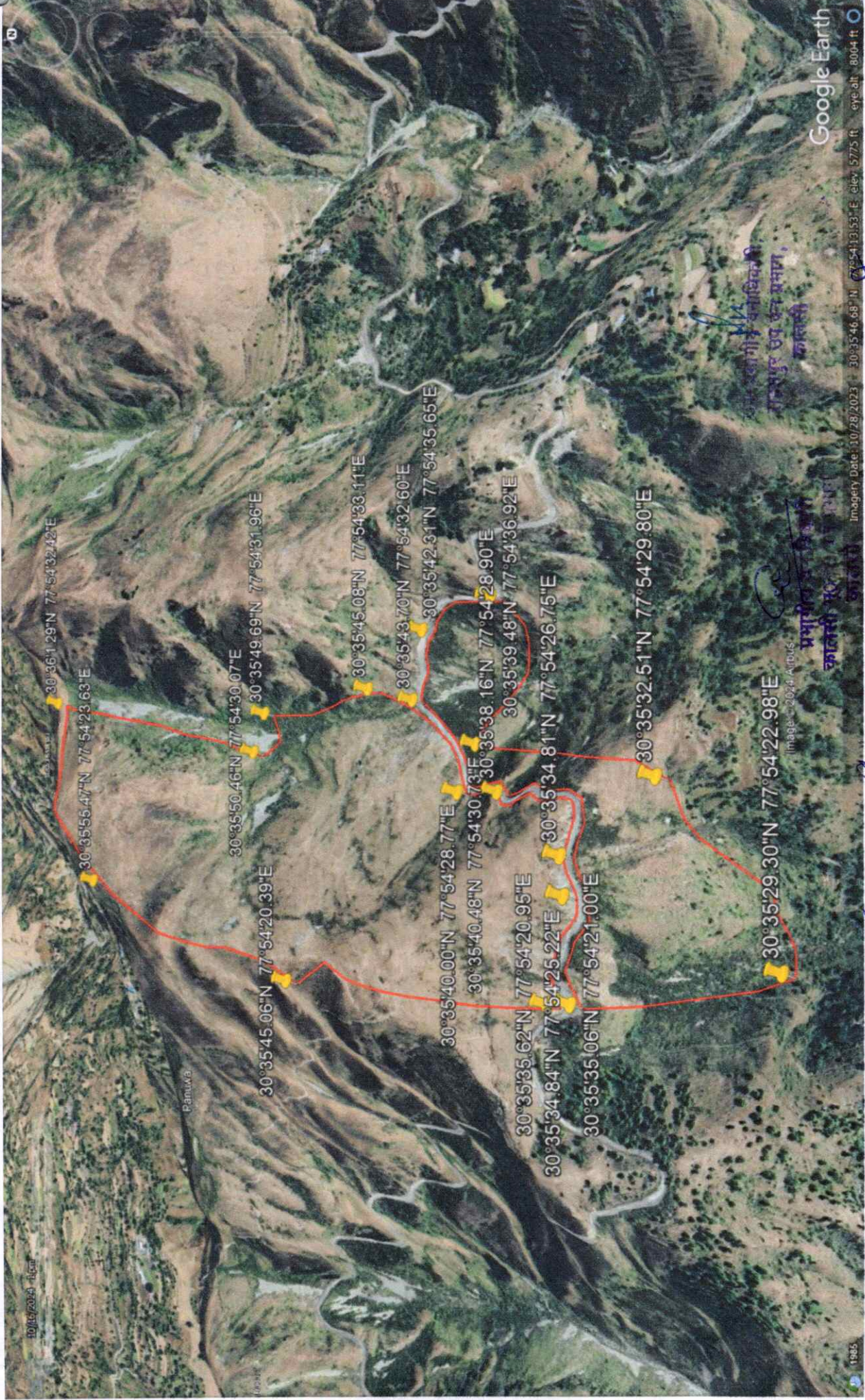


प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी



परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
ए0भाईएनए-बमनत बिहार, देहरादून

ग्राम-गडैता खसरा संख्या-1, 4 व 5 क्षेत्रफल 23.00 है०



परियोजना निदेशक/Project Director
 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 (मिडूक, त्रिभुवन राजमार्ग, काठमाडौं, नेपाल)
 Ministry of Road Transport & Highways
 काठमाडौं-चौम-बलुवाचौर-देहरादून

प्रमाणित
 प्रमाणित
 प्रमाणित

राजस्व उपनिरीक्षक
 क्षेत्र-४
 काठमाडौं-१

राजस्व उपनिरीक्षक
 क्षेत्र-४
 काठमाडौं-१

A satellite map of a mountainous region, likely in the Himalayas, showing a red boundary line. The map includes several coordinate labels in degrees North and East, such as 30°33'28.37"N 77°52'52.63"E and 30°33'23.34"N 77°52'52.56"E. The terrain is rugged with green vegetation and rocky slopes. A road or path is visible on the right side of the map. The map is sourced from Google Earth, as indicated by the logo in the bottom right corner.

परियोजना निदेशक, Project Director
 भारतीय गन्तीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (स्टडि) परियोजना राजमार्ग कनाल, भारत सरकार
 Ministry of Road Transport & Highways
 पी.ओ.बॉक्स-सत्य विहार, देहात

Sande
25.1.2021
 rehsil nald
 Dehradun

2008
2009

कावसी प्रथम रैन
जनक्षमाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू-उपकरण प्रभाग
कालसी

ग्राम-लटौ खसरा संख्या-148 क्षेत्रफल 8.00 है०



उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
Ministry of Road Transport & Highways
पि.ओ.ई.ओ.-वक्तु विहार, मुंबई-४०००४५

M. K. MEGI
Revenue Sub Inspector
Area.....
Tahsil.....Miradun

जुमन
देवीराज
विश्व वीर शर्मा
मुख्य निदेशक/नागपथ

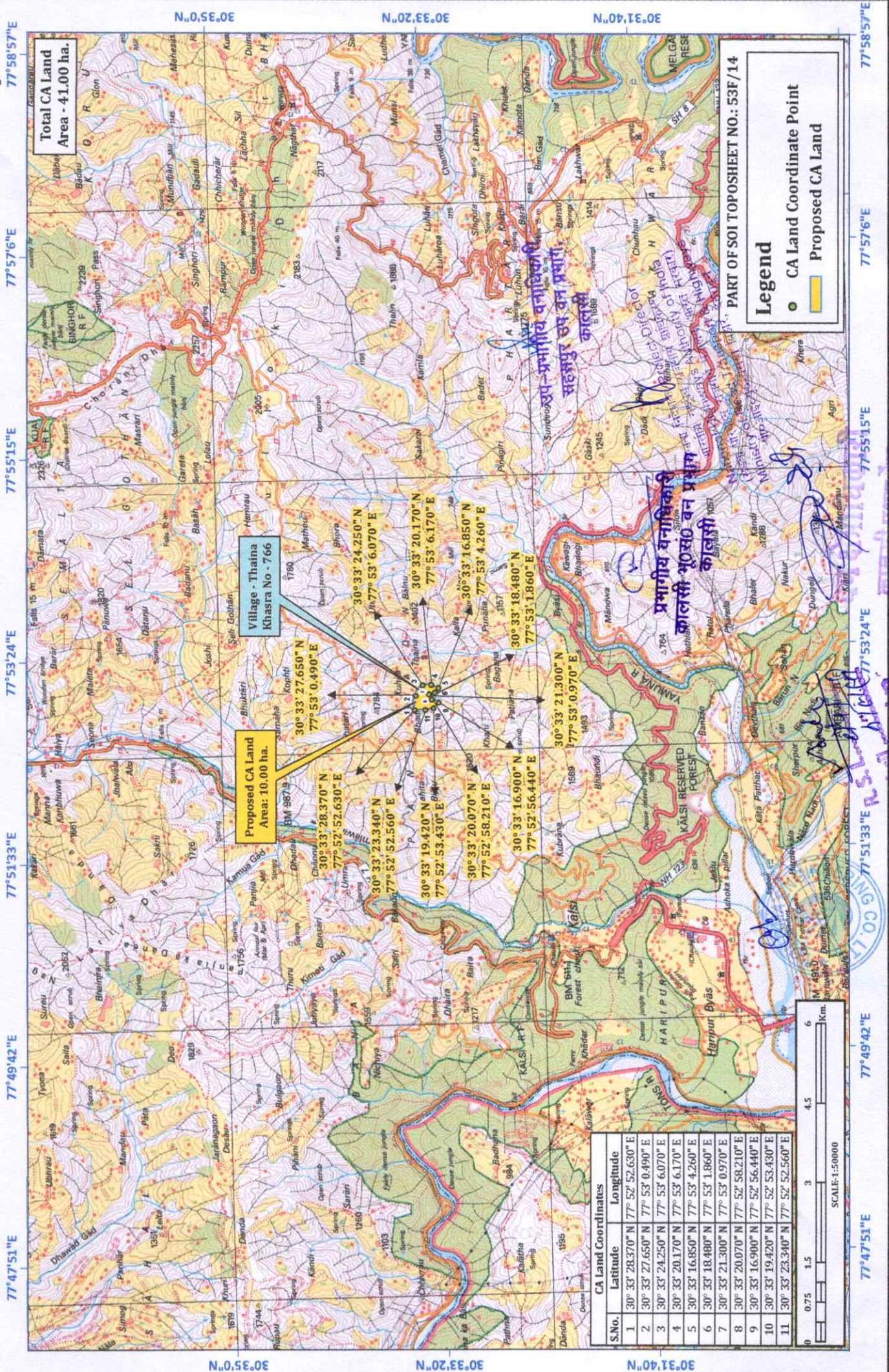
प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी।
उप-वन वनाधिकारी,
कालसी।
प्रभागीय वन प्रभाग, कालसी।

3

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

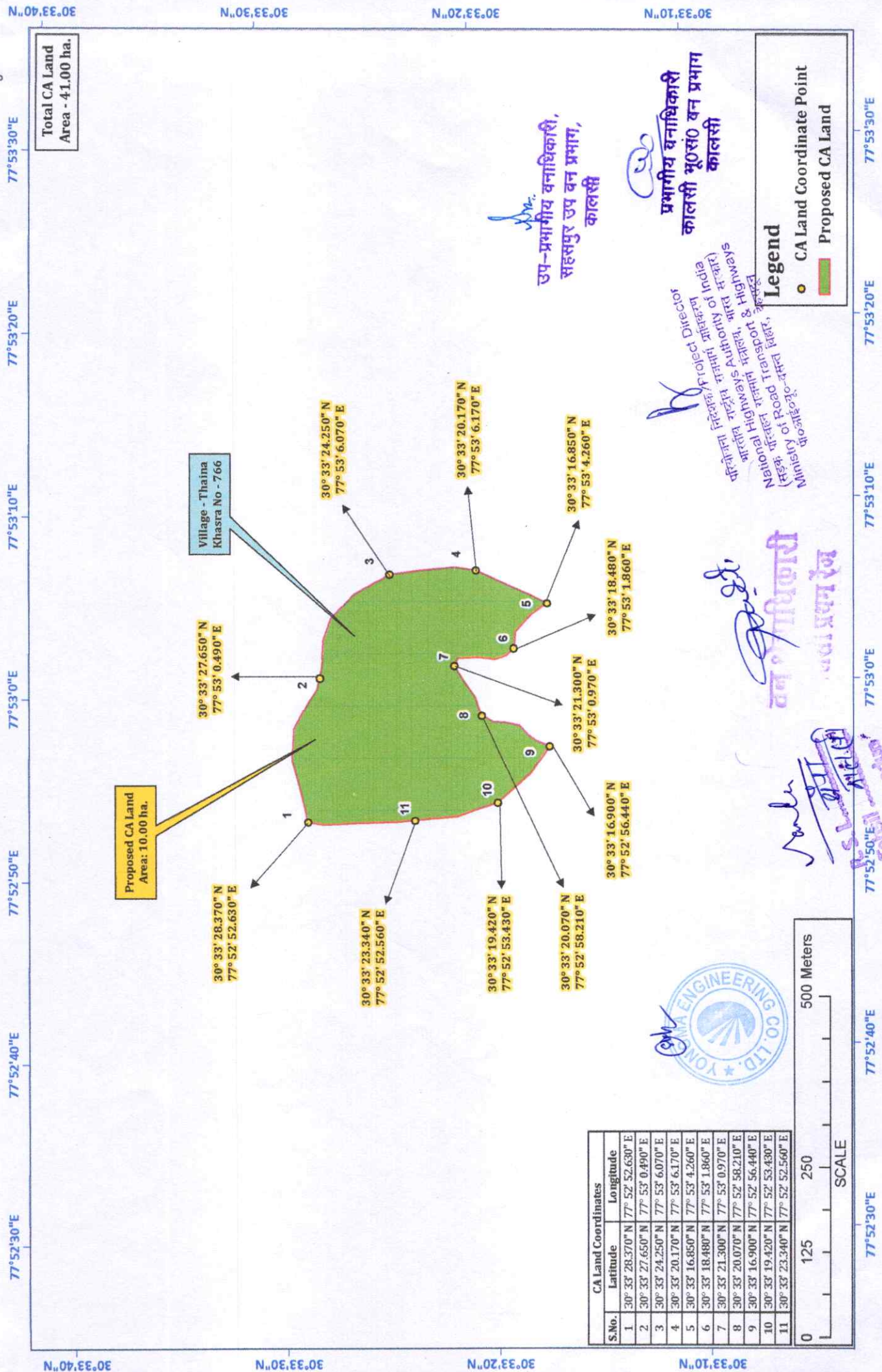
Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021



MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

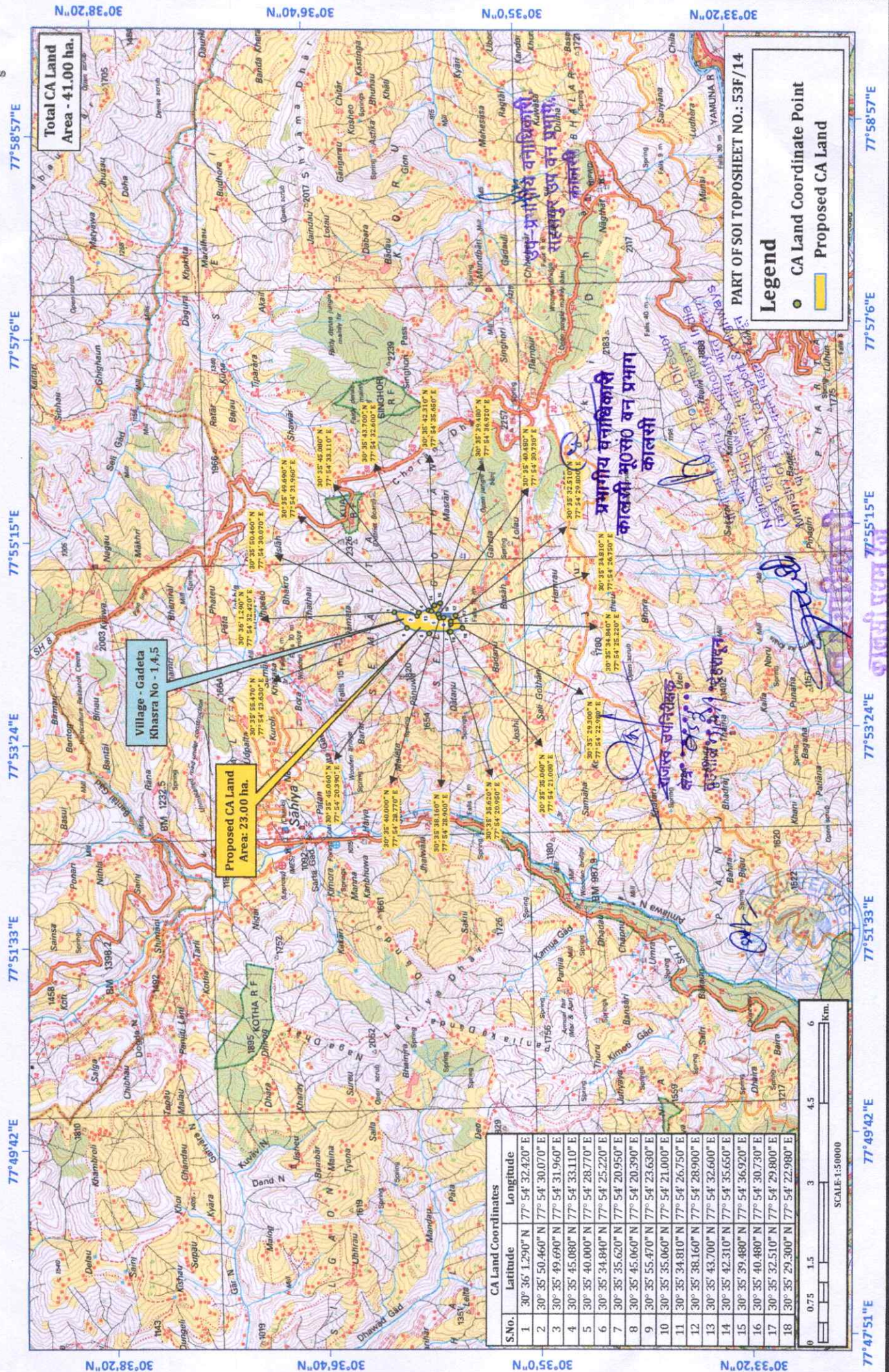
Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021



MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Ihajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021



Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Bhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021



77°53'40"E

77°54'0"E

77°54'20"E

77°54'40"E

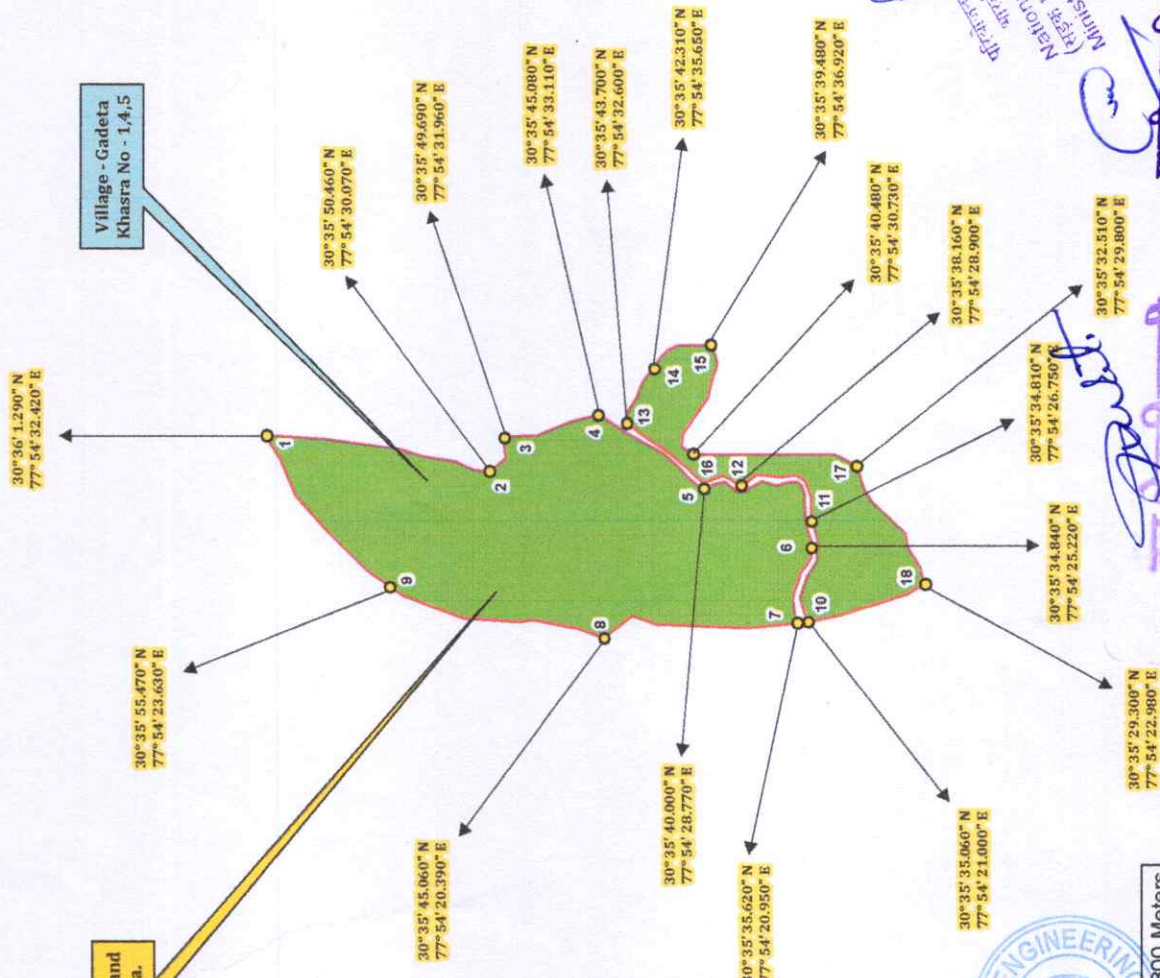
77°55'0"E

77°55'20"E

**Total CA Land
Area - 41.00 ha.**

**Proposed CA Land
Area: 23.00 ha.**

Village - Gadeta
Khasra No - 1,4,5



CA Land Coordinates		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 36' 1.2900" N	77° 54' 32.420" E
2	30° 35' 50.460" N	77° 54' 30.070" E
3	30° 35' 49.690" N	77° 54' 31.960" E
4	30° 35' 45.080" N	77° 54' 33.110" E
5	30° 35' 40.000" N	77° 54' 28.170" E
6	30° 35' 34.840" N	77° 54' 25.220" E
7	30° 35' 35.620" N	77° 54' 20.950" E
8	30° 35' 45.060" N	77° 54' 20.390" E
9	30° 35' 55.470" N	77° 54' 23.630" E
10	30° 35' 35.060" N	77° 54' 21.000" E
11	30° 35' 34.810" N	77° 54' 26.750" E
12	30° 35' 38.160" N	77° 54' 28.900" E
13	30° 35' 43.700" N	77° 54' 32.600" E
14	30° 35' 42.310" N	77° 54' 35.650" E
15	30° 35' 39.480" N	77° 54' 36.920" E
16	30° 35' 40.480" N	77° 54' 30.730" E
17	30° 35' 32.510" N	77° 54' 29.800" E
18	30° 35' 29.300" N	77° 54' 22.980" E

800 Meters

SCALE

77°53'40"E

77°54'0"E

77°54'20"E

77°54'40"E

77°55'0"E

77°55'20"E

Legend

**Land Coordinate Point
Proposed CA Land**

प्रभाषीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० बन प्रभाग
कालसी

वाणिज्यिकी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

120° E

③

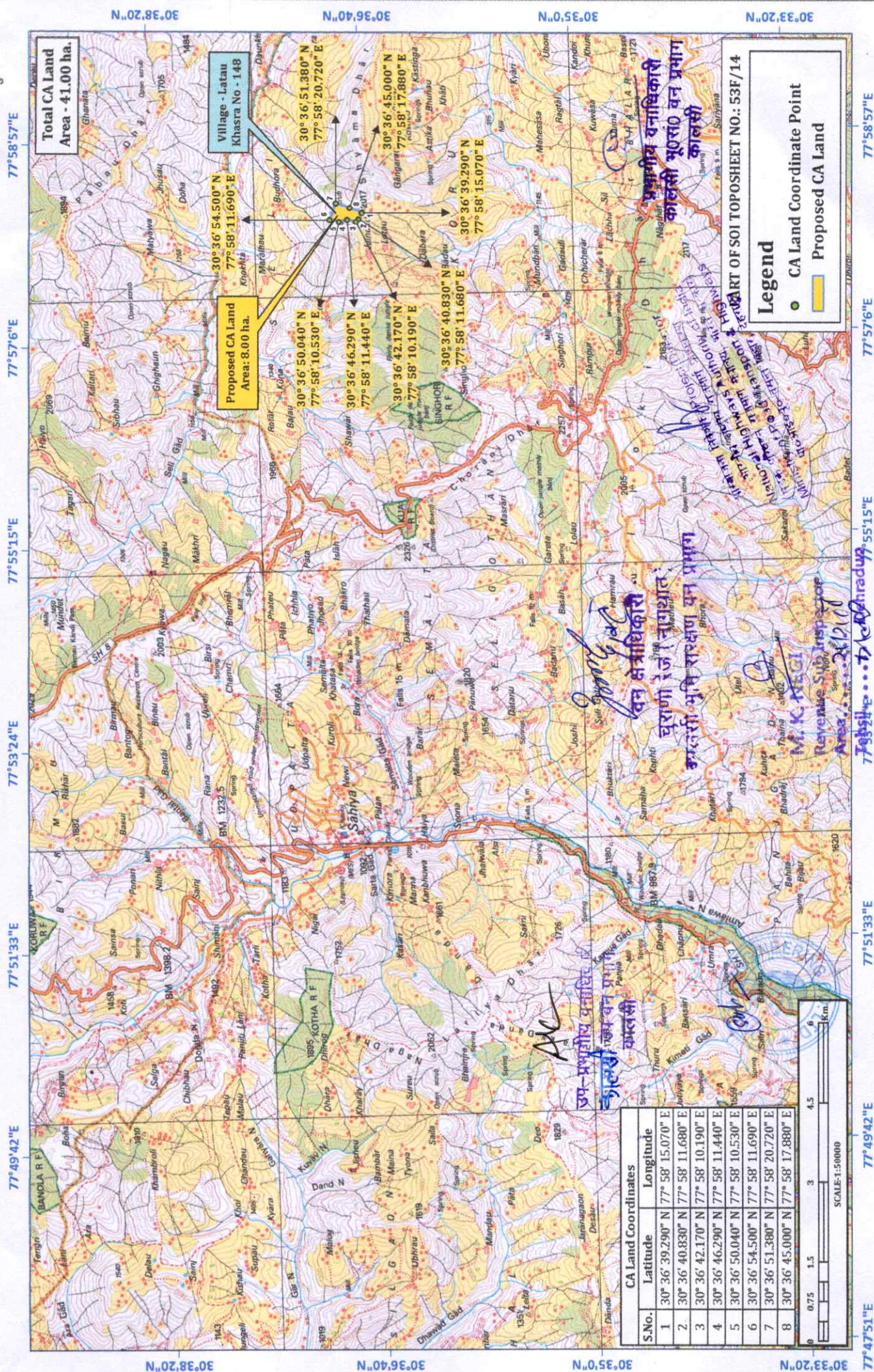
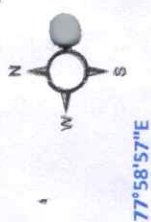
30/77

YONHIA ENGINEERING CO. LTD.

9/10

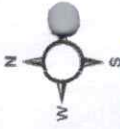
Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021



MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

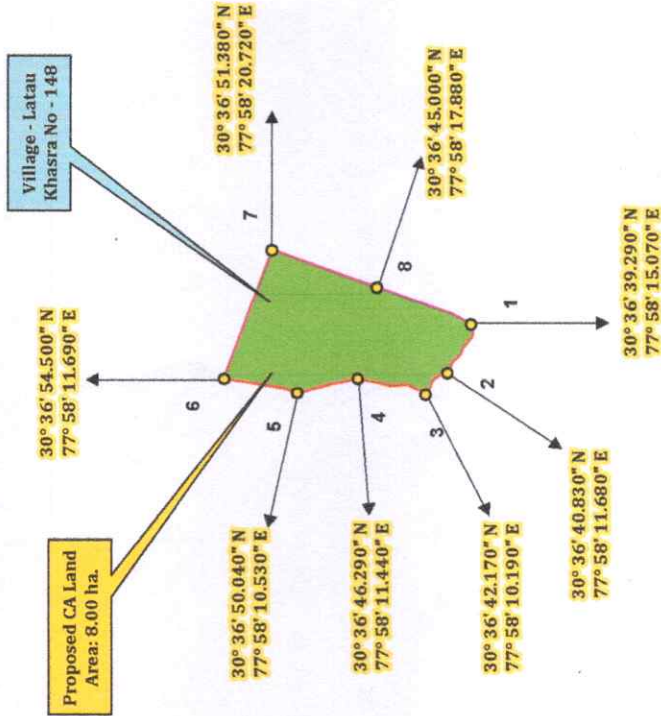
Project Name :- Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.
Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021



77°57'20"E 77°57'40"E 77°58'0"E 77°58'20"E 77°58'40"E 77°59'0"E 77°59'20"E

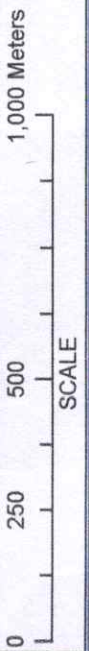
30°36'20"N 30°37'0"N 30°37'40"N 30°38'20"N

Total CA Land
Area - 41.00 ha.



उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी

S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 36' 39.290" N	77° 58' 15.070" E
2	30° 36' 40.830" N	77° 58' 11.680" E
3	30° 36' 42.170" N	77° 58' 10.190" E
4	30° 36' 46.290" N	77° 58' 11.440" E
5	30° 36' 50.040" N	77° 58' 10.530" E
6	30° 36' 54.500" N	77° 58' 11.690" E
7	30° 36' 51.380" N	77° 58' 20.720" E
8	30° 36' 45.000" N	77° 58' 17.880" E



प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी मूंसू बन प्रभाग
कालसी

M. K. [Signature]
Revenue Sub Inspector
Area... [Signature]
Tehsil... [Signature]

वन क्षेत्राधिकारी
चुराणी रेंज (नागथात)
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

Project Director
Ministry of Road Transport & Highways
National Highway Authority
Ministry of Road Transport & Highways
National Highway Authority
Ministry of Road Transport & Highways

Legend
CA Land Coordinate Point
Proposed CA Land

77°57'20"E 77°57'40"E 77°58'0"E 77°58'20"E 77°58'40"E 77°59'0"E 77°59'20"E

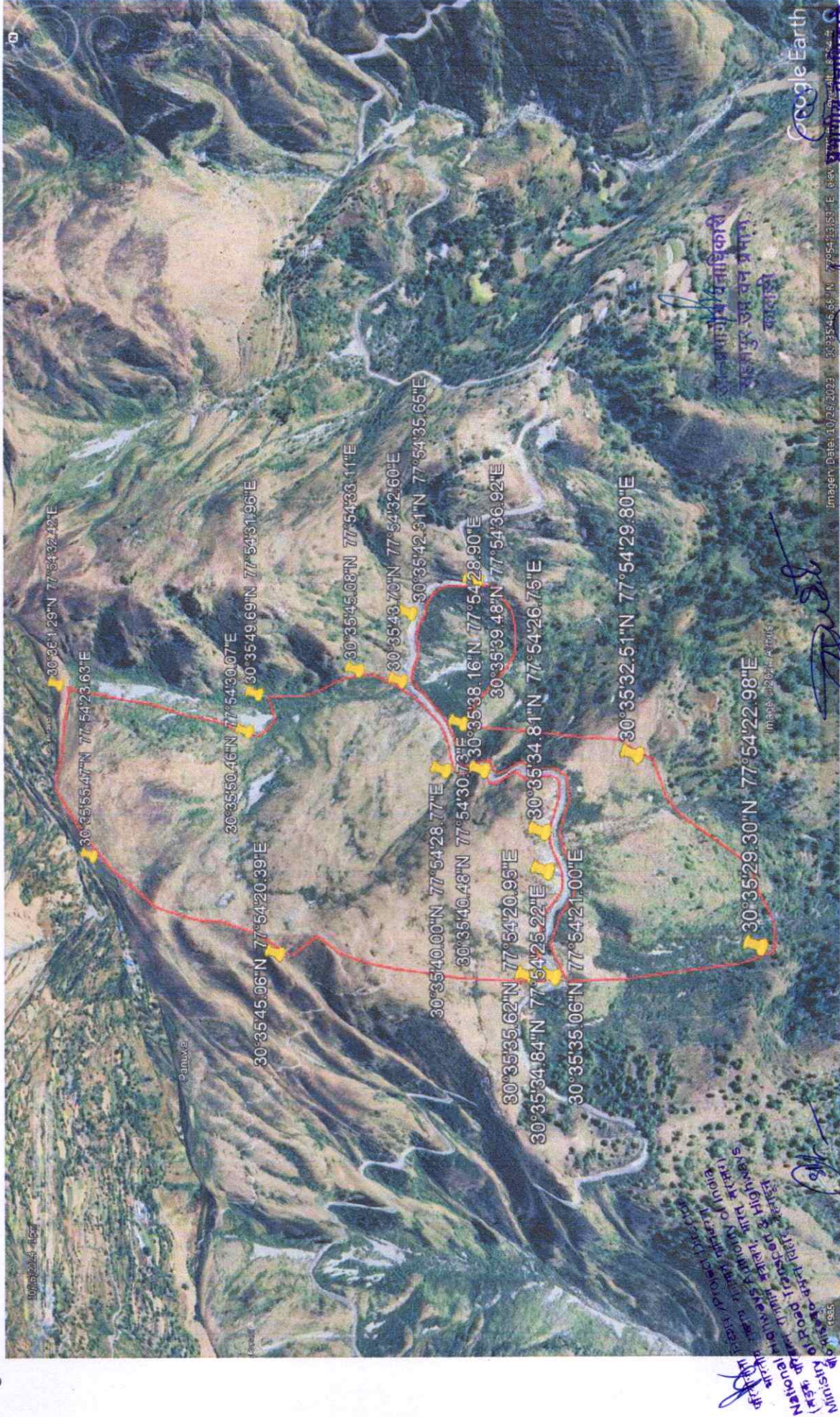
30°36'20"N 30°37'0"N 30°37'40"N 30°38'20"N

30°36'20"N 30°37'0"N 30°37'40"N 30°38'20"N

30°36'20"N 30°37'0"N 30°37'40"N 30°38'20"N

30°36'20"N 30°37'0"N 30°37'40"N 30°38'20"N

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेवशन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण गडैता ग्राम के खसरा संख्या 1, 4 एवं 5 में 23.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।



संजय उपनिषद
कालसी मू०सं० वन प्रभाग
कालसी
वन विभाग
वाल्मीकिजी
वाल्मीकिजी

GIS based Decision Support System

Beta Version
Welcome NHAI Dehradun

Change Password
Logout
Help

FOREST COVER MAP

FCM LEGEND

- VERY DENSE FOREST
- MODERATELY DENSE FOREST
- OPEN FOREST
- SCRUB
- NON FOREST
- WATER

Forest Cover Map

FCM Without Grid Result

NON FOREST

0.13

All results are in Square Kilometer.

Uttarakhand

Lat: 30.600 Long: 77.910
Scale: 1:5782

300 m
1000 ft

Project Director

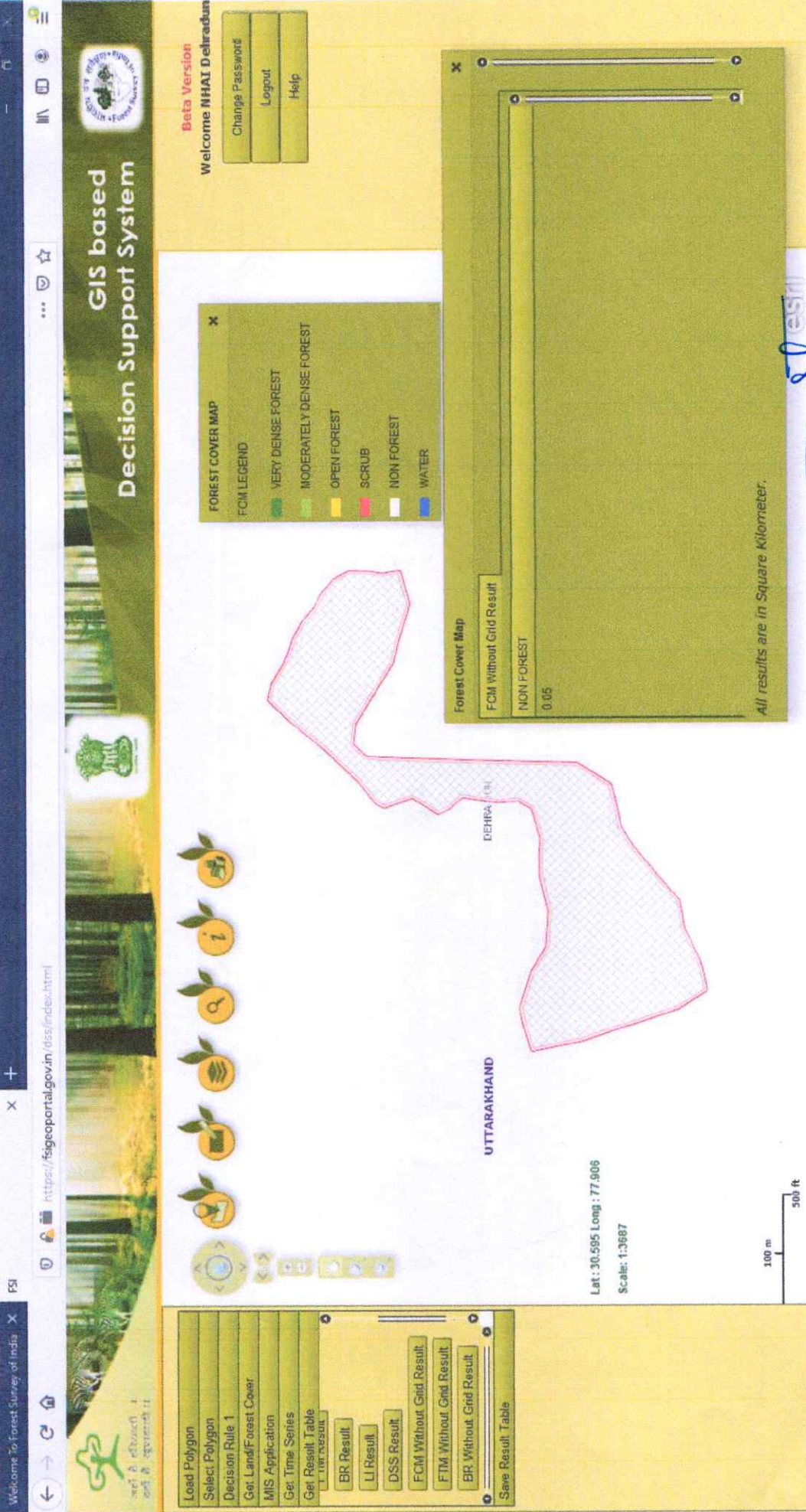
3

Ministry of Road Transport & Highways
National Highway & Motorway
Director, Project & Finance
New Delhi

उप-प्रभागीय दनाधिकारी,
सहस्रपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

राष्ट्रस्य उपनिषदिक
क्षेत्रः सः
पहरीलः ०/१५/१५

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू०सं० वन प्रभाग
कालसी



Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
National Bureau of Aquatic Resources, Dehradun
National Bureau of Aquatic Resources, Dehradun
National Bureau of Aquatic Resources, Dehradun

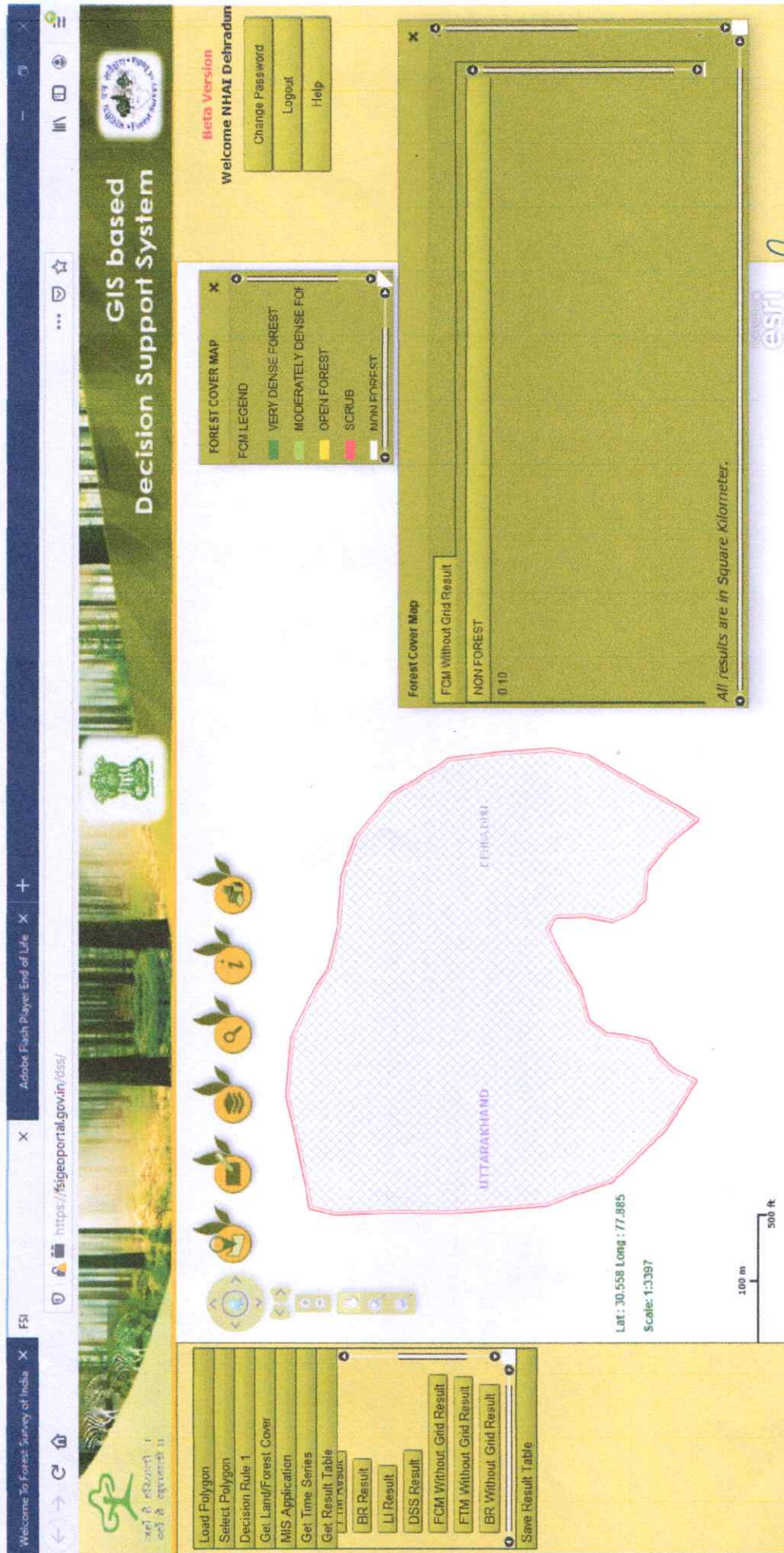


उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रज

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी मू०स० वन प्रभाग
कालसी

DSS Report



Director
National Highway Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी मूडसंड वन प्रभाग
कालसी

Dehradun

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण लटौ ग्राम के खसरा संख्या 148 में 8.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।



प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी मूंस० वन प्रभाग
कालसी

चुराणी रैज (नागथात)
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

M. K. NEGI
Revenue Sub Inspector
Area.....
Tehsil.....

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी मूंस० वन प्रभाग
कालसी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

DSS Report



उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

परिवहन विभाग, Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
नगराई-वमन विभाग, देहरादून

M.K. NEGI
Revenue Sub Inspector
Area..... 21/21/18
Tehsil..... Dehradun
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0स0 वन प्रभाग
कालसी

वृक्ष रक्षक,
वन क्षेत्राधिकारी
घुसणी रेंज (नागथाल),
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग

Details of CA Land

क्रमसं०	वृक्षारोपण क्षेत्र / ग्राम	खसरा सं०	रेंज का नाम	वन प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल है० में
1	थैना	766	कालसी - प्रथम रेंज	कालसी भू०सं० वन प्रभाग, कालसी	10.0000
2	गडैता	1, 4 एवं 5	कालसी - प्रथम रेंज	कालसी भू०सं० वन प्रभाग, कालसी	23.0000
3	लटौ	148	चुरानी रेंज नागथात	कालसी भू०सं० वन प्रभाग, कालसी	8.0000
कुल क्षेत्रफल					41.0000

क्र.सं० ७१ व ७२ हेतु

 वन क्षेत्राधिकारी
 कालसी प्रथम रेंज



M. 
 Revenue Sub Inspector
 Area..... गडैता
 Tehsil..... Dehradun


 R. S. L. 
 Tehsil Dehradun

Ministry of Road Transport & Highways
 National Highways Authority of India
 Office of the Project Director
 New Delhi


 सजस्व उपनिरीक्षक
 क्षेत्र 
 तहसील  देहरादून

 क्र.सं. 112
 उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
 सहसपुर उप वन प्रभाग,
 कालसी


 सहायक वनाधिकारी
 कालसी भू०सं० वन प्रभाग
 कालसी


 वन क्षेत्राधिकारी
 चुरानी रेंज (नागथात)
 कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग


 उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
 कालसी उप वन प्रभाग,
 कालसी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं०-1459/3-5-2, दिनांक 01/07/2021 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु प्राक्कलन 1100 पौध/है० @ 4,93,670.00 वसूली वर्ष 2024-25 के अनुसार।

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य में रा०रा०-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक नवनिर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- सिविल सोयम ग्राम-गडैता खसरा संख्या-1, 4 व 5 क्षेत्रफल 23.00 है०

प्रथम चरण/वर्ष					
क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हैक्टेयर	1.00	300.00	300.00
2	लैण्डाना झाड़ी कटान काय।	प्रति है०	1.00	7810.00	7810.00
3	चैक प्लाटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है० से अधिक का नहीं होगा)	हैक्टेयर	1.00	886.00	886.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेसिंग) $150 \text{ र०मी० } (0.45+0.60)/2 \times 1.20 = 94.50 \text{ घमी०}$	प्रति घमी०	94.50	933.00	88168.50
5	गड्डों का संरक्षण चूने की कीमत सहित	प्रति सैकडा	1100	89.00	979.00
6	गड्डा खुदान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्डा	1100	16.00	17600.00
7	पौध उगाने पर व्यय प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	प्रति पौध	1210	27.22	32936.20
8	रासायनिक खाद व कीटनाशक	प्रति सैकडा	1100	78.00	858.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अन्य व्यय-				
	1-निरीक्षण बटियां	प्रति है०	1.00	1593.00	1593.00
	2-रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि	प्रति है०	1.00	2500.00	2500.00
योग-प्रथम चरण					167980.70

द्वितीय चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई		ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड्डों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्डा	1100	1.95	2145.00
2	पौधों की लदाई-उतराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सैकडा	1210	1.37	16.58
3	पौध डुलान 10 प्रतिशत डुलान में क्षति सहित	प्रति पौध	1210	12.77	15451.70
4	पौध रख-रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	1210	3.24	3920.40
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर डुलान सहित	प्रति पौध	1100	5.80	6380.00
6	रोपण के पश्चात लैण्डाना झाड़ी कटान एवं फुकान	प्रति है०	1.00	3909.00	3909.00
7	निराई-गुडाई मल्लिचंग व थावलाबन्दी				
	प्रथम बार	प्रति पौध	1100	5.31	5841.00
	द्वितीय बार	प्रति पौध	1100	2.31	2541.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु	प्रति है०/प्रतिमाह	9	1241.50	11173.50
9	जल मृदा संरक्षण हेतु लघु अभियांत्रिक कार्य करना।	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
11	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	प्रति है०	1.00	4000.00	4000.00
योग-द्वितीय चरण					70716.18
कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण					238696.88

तृतीय चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्लिंग, होइंग (2 बार)	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	12.00	3909.00	46908.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	12.00	988.00	11856.00
योग-तृतीय चरण					82044.00

चतुर्थ चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्लिंग, होइंग	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	1.00	3909.00	3909.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
योग-चतुर्थ चरण					28177.00

पंचम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-पंचम चरण					24126.00

षष्ठम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-षष्ठम चरण					24126.00

सप्तम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-सप्तम चरण					24126.00

Dee

अष्टम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
	योग-अष्टम चरण				24126.00

नवम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
	योग-नवम चरण				24126.00

दसम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
	योग-दसम चरण				24126.00
	कुल योग				493672.88
	या				493672.00

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1459/3-5-2 पी०ओ०, दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष 2024-25 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है० रु० 4,93,670/- स्वीकृत है।

23.00 हैक्टर x 493670.00 = 11354410.00

₹ 11354410.00

(रुपये एक करोड़ तेरह लाख चौवन हजार चार सौ दस रुपये मात्र)

ESTIMATE CHECKED
FOR RS. 11354410/- only
D/MAN
SOIL CONSERVATION
FOREST DIVISION
KALSI

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रैंज

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं०-1459/3-5-2, दिनांक 01/07/2021 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु प्राक्कलन 1100 पौध/है० @ 4,93,670.00 वसूली वर्ष 2024-25 के अनुसार।

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य में रा०रा०-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक नवनिर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- सिविल सोयम ग्राम-लटो खसरा संख्या-148 क्षेत्रफल 8.00 है०

प्रथम चरण/वर्ष					
क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हैक्टेयर	1.00	300.00	300.00
2	लैण्टाना झाड़ी कटान काय।	प्रति है०	1.00	7810.00	7810.00
3	चैक प्लॉटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है० से अधिक का नहीं होगा)	हैक्टेयर	1.00	886.00	886.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेंसिंग) $150 \text{ र०मी० } (0.45+0.60)/2 \times 1.20 = 94.50 \text{ घमी०}$	प्रति घमी०	94.50	933.00	88168.50
5	गड्डों का संरक्षण चूने की कीमत सहित	प्रति सैकडा	1100	89.00	979.00
6	गड्डा खुदान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्डा	1100	16.00	17600.00
7	पौध उगाने पर व्यय प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	प्रति पौध	1210	27.22	32936.20
8	रासायनिक खाद व कीटनाशक	प्रति सैकडा	1100	78.00	858.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अन्य व्यय-				
	1-निरीक्षण बटियां	प्रति है०	1.00	1593.00	1593.00
	2-रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि	प्रति है०	1.00	2500.00	2500.00
योग-प्रथम चरण					167980.70

द्वितीय चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई		ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड्डों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण (30 x 30 x 45 सेमी)	प्रति गड्डा	1100	1.95	2145.00
2	पौधों की लदाई-उतराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सैकडा	1210	1.37	16.58
3	पौध डुलान 10 प्रतिशत डुलान में क्षति सहित	प्रति पौध	1210	12.77	15451.70
4	पौध रख-रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	1210	3.24	3920.40
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर डुलान सहित	प्रति पौध	1100	5.80	6380.00
6	रोपण के पश्चात लैण्टाना झाड़ी कटान एवं फुकान	प्रति है०	1.00	3909.00	3909.00
7	निराई-गुडाई मल्टिग व थावलाबन्दी				
	प्रथम बार	प्रति पौध	1100	5.31	5841.00
	द्वितीय बार	प्रति पौध	1100	2.31	2541.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु	प्रति है०/प्रतिमाह	9	1241.50	11173.50
9	जल मृदा संरक्षण हेतु लघु अभियांत्रिक कार्य करना।	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
11	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	प्रति है०	1.00	4000.00	4000.00
योग-द्वितीय चरण					70716.18
कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण					238696.88

तृतीय चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्लिंग, होइंग (2 बार)	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	12.00	3909.00	46908.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	12.00	988.00	11856.00
योग-तृतीय चरण					82044.00

चतुर्थ चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मल्लिंग, होइंग	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	1.00	3909.00	3909.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
योग-चतुर्थ चरण					28177.00

पंचम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-पंचम चरण					24126.00

षष्ठम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-षष्ठम चरण					24126.00

सप्तम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-सप्तम चरण					24126.00

अष्टम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
	योग-अष्टम चरण				24126.00

नवम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
	योग-नवम चरण				24126.00

दसम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
	योग-दसम चरण				24126.00
	कुल योग				493672.88
	या				493672.00

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1459/3-5-2 पी०ओ०, दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष 2024-25 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है० रु० 4,93,670/- स्वीकृत है।

8.00 हैक्टर x 493670.00 = 3949360.00

₹ 3949360.00

(रुपये उनचालीस लाख उनचास हजार तीन सौ साठ रुपये मात्र)

ESTIMATE CHECKED
FOR RS. 394,93,600/- only
D/MAN
SOIL CONSERVATION
FOREST DIVISION
KALSI

AV
उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
चुराणी रेंज (नागथात)
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं०-1459/3-5-2, दिनांक 01/07/2021 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु प्राक्कलन 1100 पौध/है० @ 4,93,670.00 वसूली वर्ष 2024-25 के अनुसार।

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक नवनिर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- सिविल सोयम ग्राम-थैना खसरा संख्या-766 क्षेत्रफल 10.00 है०

प्रथम चरण/वर्ष					
क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हैक्टेयर	1.00	300.00	300.00
2	लैण्टाना झाड़ी कटान काय।	प्रति है०	1.00	7810.00	7810.00
3	चैक प्लॉटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है० से अधिक का नहीं होगा)	हैक्टेयर	1.00	886.00	886.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेसिंग) $150 \text{ र०मी० } (0.45+0.60)/2 \times 1.20 = 94.50 \text{ घमी०}$	प्रति घमी०	94.50	933.00	88168.50
5	गड़्डों का संरक्षण चूने की कीमत सहित	प्रति सैकडा	1100	89.00	979.00
6	गड़्डा खुदान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड़्डा	1100	16.00	17600.00
7	पौध उगाने पर व्यय प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	प्रति पौध	1210	27.22	32936.20
8	रासायनिक खाद व कीटनाशक	प्रति सैकडा	1100	78.00	858.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अन्य व्यय-				
	1-निरीक्षण बटियां	प्रति है०	1.00	1593.00	1593.00
	2-रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि	प्रति है०	1.00	2500.00	2500.00
योग-प्रथम चरण					167980.70

द्वितीय चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई		ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड़्डों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण (30 x 30 x 45 सेमी)	प्रति गड़्डा	1100	1.95	2145.00
2	पौधों की लदाई-उतराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सैकडा	1210	1.37	16.58
3	पौध ढुलान 10 प्रतिशत ढुलान में क्षति सहित	प्रति पौध	1210	12.77	15451.70
4	पौध रख-रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	1210	3.24	3920.40
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित	प्रति पौध	1100	5.80	6380.00
6	रोपण के पश्चात लैण्टाना झाड़ी कटान एवं फुकान	प्रति है०	1.00	3909.00	3909.00
7	निराई-गुड़ाई मल्लिचंग व थावलाबन्दी				
	प्रथम बार	प्रति पौध	1100	5.31	5841.00
	द्वितीय बार	प्रति पौध	1100	2.31	2541.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु	प्रति है०/प्रतिमाह	9	1241.50	11173.50
9	जल मृदा संरक्षण हेतु लघु अभियांत्रिक कार्य करना।	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
11	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	प्रति है०	1.00	4000.00	4000.00
योग-द्वितीय चरण					70716.18
कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण					238696.88

तृतीय चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मलिंग, होइंग (2 बार)	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	12.00	3909.00	46908.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	12.00	988.00	11856.00
योग-तृतीय चरण					82044.00

चतुर्थ चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	वीडिंग, मलिंग, होइंग	प्रति पौध	1100	7.62	8382.00
3	झाड़ी कटान	प्रति है०	1.00	3909.00	3909.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
योग-चतुर्थ चरण					28177.00

पंचम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-पंचम चरण					24126.00

षष्ठम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-षष्ठम चरण					24126.00

सप्तम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-सप्तम चरण					24126.00

अष्टम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-अष्टम चरण					24126.00

नवम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-नवम चरण					24126.00

दसम चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति है०/प्रतिमाह	12	1241.50	14898.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय।	ल०स०	ल०स०	ल०स०	8240.00
योग-दसम चरण					24126.00
कुल योग					493672.88
या					493672.00

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1459/3-5-2 पी०ओ०, दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष 2024-25 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है० रु० 4,93,670/- स्वीकृत है।

$$10.00 \text{ हैक्टर} \times 493670.00 = 4936700.00$$

₹ 4936700.00

(रुपये उनचास लाख छत्तीस हजार सात सौ रुपये मात्र)

वन क्षेत्राधिकारी
कालसी प्रथम रैंक

ESTIMATE CHECKED
FOR RS. 4936700/-
D/MAN
SOIL CONSERVATION
FOREST DIVISION
KALSI

उप-प्रभारी वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभारी वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

Full Title of the Project: Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No. : FP/UK/ROAD/140350/2021

Date of Proposal: 01/04/2021

Forest Land Proposed For Diversion: Total Area : 20.0849 Hectare

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित /निर्धारित की जायेगी उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।



पंकज कुमार मौर्य
महाप्रबंधक (तकनीकी)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी.आई.यू., वसन्त विहार,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी.आई.यू.-वसन्त विहार, देहरादून

Full Title of the Project: Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No. : FP/UK/ROAD/140350/2021

Date of Proposal: 01/04/2021

Forest Land Proposed For Diversion: Total Area : 20.0849 Hectare

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु User Agency is ready to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।



पंकज कुमार मौर्य
महाप्रबंधक (तकनीकी)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी.आई.यू., वसन्त विहार,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

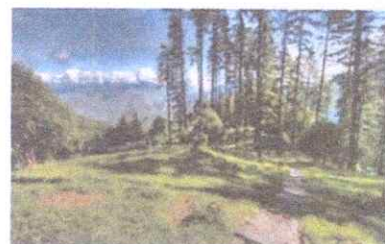
परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं. 03/00-गगन विहार, देहरादून



WILDLIFE MANAGEMENT AND SOIL & MOISTURE CONSERVATION PLAN

FOR

Widening Development of 4- lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) near (Jhajra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand



DEHRADUN FOREST DIVISION
SHIVALIK CIRCLE
FOREST DEPARTMENT, UTTARAKHA

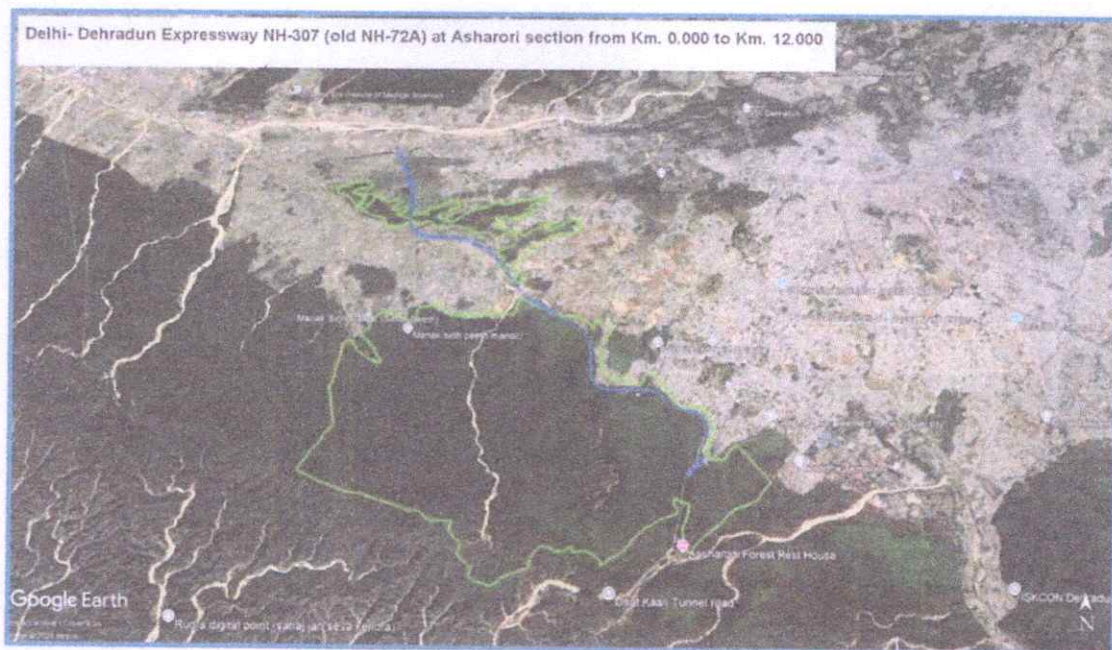


Table of Contents

1) प्रस्तावना	2
2) परियोजना का विवरण	3
3) मानचित्र	4
4) परियोजना का वन एवं वन्यजीवों पर प्रभाव	6
5) वन्यजीव प्रबन्धन योजना	8
6) वन्यजीव प्रबन्धन योजना का भौतिक एवं वित्तीय विवरण	9
7) मृदा एवं जल संरक्षण योजना का भौतिक एवं वित्तीय विवरण	16

उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक निर्माण कार्य प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 के तहत प्रस्तावित किया गया है, इस परियोजना में कुल 20.0849 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित है। चूंकि प्रस्तावित वन मोटर मार्ग शिवालिक श्रृंखला के संघन वनों से होकर गुजरता है इसलिये वन्यजीव संरक्षण प्रबन्धन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं। यह न केवल महत्वपूर्ण प्रजातियों की सतत उपज को सुनिश्चित करता है वरन समस्त वन्यजीवों सहित वनों के समग्र स्वास्थ्य पर भी प्रबल जोर देता है।

इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए मृदा की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। पानी की मात्रा बढ़ाने और साथ ही मृदा के कटाव को रोकने के लिए वाटर होल, कन्दूर ट्रेच व इनमें नेपियर घास का रोपण, चैक डैम आदि कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।



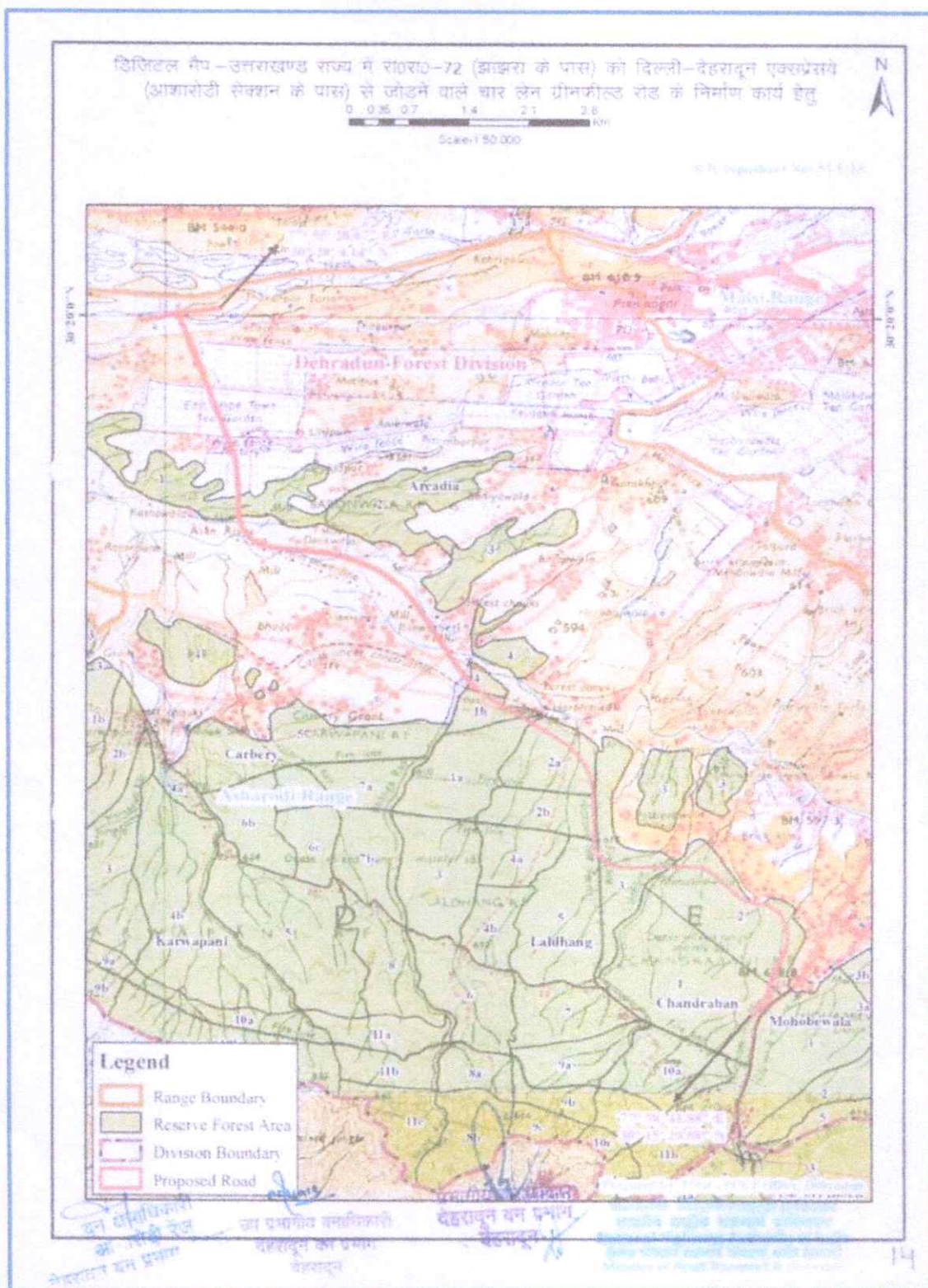
उपरोक्त वन्यजीव प्रबन्धन योजना भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी गाईडलाईन संख्या-FC-11/43/2021-FC, Dated: 16th January, 2023 में प्रदत्त निर्देशों के आधार पर निरूपित की जा रही है।

परियोजना का विवरण

2

Proposal No.	FP/UK/ROAD/140350/2021
Project Name:	Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.
Area (in ha):	20.0849
Legal Status of Forest Land	Reserve Forest
District :	Dehradun
Division(s):	Dehradun Division
Range	Asharori Range
Proposal For:	Form-A (Part-I): Diversion of Forest Land
Proponent Name :	Executive Engineer Provincial Division PWD Dehradun
Project Cost	109.08 Cr (approx.)
Amount of Wild Life Management plan	279.64 Lakh
Amount of Soil & Moisture Conservation Plan	77.102 Lakh

Map of Project area





परियोजना का वन एवं वन्यजीवों पर प्रभाव

मोटर मार्ग के निर्माण से जहां एक तरफ परिवहन में सुधार होता है, जिससे लोगों को विभिन्न स्थानों तक तेजी से पहुंचने की सुविधा प्रदान होती है एवं आर्थिक विकास होता है, वहीं दूसरा पहलू अर्थात् पर्यावरणीय दृष्टि से विचार किया जाय तो मोटर मार्ग से वन्यजीवों एवं उनके वास स्थलों व वनस्पतियों पर कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं।

वन्यजीवों के आवास की हानि : मोटर रोड्स के निर्माण से वन्यजीवों के आवास क्षेत्र को अवरुद्ध हो सकता है। यह उनके आवागमन की सुविधा को कम कर सकता है। और उनकी प्रजनन और आहार खोज में असुविधा पैदा कर सकता है।

वन्यजीवों की आवाजाही में समस्या : मोटर मार्ग के निर्माण से वन्यजीवों के आवाजाही में समस्या उत्पन्न होती है। उनके पारंपरिक आवाजाही संग्रह संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हो सकता है। इससे वन्यजीवों के संचार और सामाजिक संगठन पर असर पड़ सकता है, जो उनके जीवन शैली और प्राकृतिक संरक्षण को प्रभावित करता है।

जैव विविधता की कमी : मोटर रोड के निर्माण से वन्यजीवों के पास जाने का मार्ग कट जाता है, जिससे उनका संरक्षण प्रभावित हो सकता है। इससे जैव विविधता में कमी हो सकती है और साथ ही वनस्पतियों की संरक्षण क्षमता पर भी असर पड़ सकता है।

प्राकृतिक संतुलन का अस्तित्व पर प्रभाव : फॉरेस्ट में मोटर रोड के निर्माण से प्राकृतिक संतुलन को अस्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह वायुमंडलीय, जल संवेदनशीलता और बाढ़ की संभावना पर प्रभाव डाल सकता है।

ध्वनि प्रदूषण : मोटर रोड के निर्माण से ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, जिससे जंगली जीवों के संतोष को प्रभावित किया जा सकता है। यह उनका सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और उनके पर्यावरण के संरक्षण को खतरे में डाल सकता है।

जल संसाधन पर प्रभाव : मोटर मार्ग के निर्माण से वनों में नदियों, गाड़-गदरों में प्राकृतिक रूप से हो रहे प्रवाह में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है एवं मोटर मार्ग के निर्माण से कैचमेंट में स्थित जल संसाधनों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया जा सकता है। साथ मोटर मार्ग के निर्माण से भूमिगत प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है, जिससमे कि पानी की उपयोगिता एवं जल संवर्धन में कमी आ सकती है।

भू-क्षरण की समस्या : वनों में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु पहाड़ों में प्रायः कटिंग करके बनायी जाती है, जिससे भू-क्षरण की समस्या उत्पन्न होती है। मोटर रोड़ के निर्माण से अधिक खुदाई और अन्य अनुप्रयोगों की आवश्यकता हो सकती है, जो फॉरेस्ट के प्राकृतिक संरचना को हानि पहुंचा सकते हैं, और उसके भूमिगत संसाधनों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इस समस्या का समयान्तर्गत निवारण ना किया गया तो यह भू-स्खलन का रूप धारण कर लेती है।

अतः मोटर मार्ग के उपरोक्त विपरीत प्रभावों न्यूनीकरण हेतु इस योजना के अन्तर्गत वानिकी कार्य प्रस्तावित किये जोन आवश्यक है ताकि जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद हो सके।

मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र जो कि असारोडी रेंज के अन्तर्गत संरक्षित है। मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों को आंकलन किये जाने के पश्चात दो भागों में योजना तैयार की जा रही है :-

1. वन्यजीव प्रबन्धन योजना (Wild Life Management Plan)
2. मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण योजना (Soil & Moisture Conservation Plan)

योजना के मुख्य उद्देश्य

1. वन्य जीवों के विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखते हुए वन्यजीवों के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन करना।
2. वन्यजीवों का कल्याण व उसका संवर्धन करना एवं उनके वास स्थलों का विकास करना।
3. प्राकृतिक संतुलन को संरक्षित करना, जिससे भूमि, जल और हवा के प्राकृतिक संसाधनों को संतुलन बना रहे।

प्रस्तावित उपचार कार्य

वन्यजीव वासस्थल विकास कार्य—

लैण्टाना उन्मूलन तथा स्थानीय घास/झाड़ी प्रजातियों का रोपण—आसारोडी रेंज के अन्तर्गत लैण्टाना झाड़िया विद्यमान है जो कि वन्यजीवों के लिए एक परेशानी का स्रोत बन जाती है इसके तीव्र विस्तार के कारण लैण्टाना उन्मूलन की आवश्यकता है। लैण्टाना वन्यजीवों के आवास क्षेत्र का स्थान ले लेती है, जिससे उनके आवास की सांख्यिकीय और जीवनकाल को प्रभावित होता है। इससे प्राकृतिक वनस्पतियों को भी प्रभावित करती है। अतः योजना के अन्तर्गत 145.00 है० क्षेत्र में लैण्टाना उन्मूलन कार्य प्रस्तावित किये गये हैं, जो कि सी०आर० बाबू से पूर्णतः नष्ट किये जायेंगे तथा उनके स्थान पर स्थानीय घास/झाड़ी प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

- वृक्षारोपण कार्य— आरकेडिया प्रथम क्षेत्र में कुल 15.00 है० वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है जिसमें मुख्यतः फलदार पौधों का रोपण किया जायेगा।

- उपकरण क्रय : वन एवं वन्यजीवों की निगरानी एवं बेहतर प्रबन्धन हेतु कैमरा ट्रैप, जी०पी०एस०, ड्रोन आदि क्रय करने प्रस्तावित किये गये हैं।

- वन क्षेत्रों में नियमित रूप से सघन पेट्रोलिंग हेतु वन मोटर मार्गों का सुदृढीकरण कार्य प्रस्तावित किया गया है।

Components of Integrated Biodiversity Conservation & Wildlife Management Plan										
S. No.	Component	Unit	Physical				Financial			
			2024-25	2025-26	2026-27	Total (Phy)	2024-25	2025-26	2026-27	Total Amount (in Lakhs)
1	Habitat improvement									
	(i) Lantana Eradication									
	I Year	Ha.	145	-	-	145	44.90	-	-	44.90
	II Year	Ha.	-	145	-	145	-	46.46	-	46.46
	III Year	Ha.	-	-	145	145	-	-	5.73	5.73
	Total						44.90	46.46	5.73	97.09
	(ii) Augmenting water regime by creating water structure	No.	8	5	5	18	10.40	6.50	6.50	23.40
2	Total						10.40	6.50	6.50	23.40
	(iii) Plantation	Ha.	15	-	-	15	-	-	-	
	I Year (ASW)	Ha.	15	-	-	15	35.89	-	-	35.89
	II Year	Ha.	-	15	-	15	-	9.24	-	9.24
	III Year	Ha.	-	-	15	15	-	-	2.38	2.38
	Total						35.89	9.24	2.38	47.51
	Equipment									
	(i) Camera Traps	No.	10	-	-	10	2.50	-	-	2.50
	(ii) Battery for camera trap	No.	40	40	40	120	0.02	0.02	0.02	0.06

	(iii) GPS	No.	10	-	-	10	2.00	-	-	2.00
	(iii) Drones	No.	1	-	-	1	2.50	-	-	2.50
	(iv) Binoculars	No.	2	-	-	2	0.50	-	-	0.50
	(vii) (Computers & Printers, UPS)	No.	2	-	-	2	1.50	-	-	1.50
	(viii) Torches for Patrolling	No.	20	-	-	20	1.00	-	-	1.00
	(viii) Other rescue related expenditures	L.S	L.S	L.S	L.S	L.S	1.00	-	-	1.00
	(ix) Fox light/LED Light(1km Range)	No.	3	-	-	3	0.60	-	-	0.60
	Total						11.62	0.02	0.02	11.66
4	Signages	No.	10	5	5	20	1.00	0.5	0.5	2.00
	Total						1.00	0.5	0.5	2.00
5	Forest Protection works									
	(i) Maintenance of Inspection/ patrolling bridle path	Km.	15	0	0	15	5.00	0.00	0.00	5.00
	(ii) Maintenance of Forest Roads (Wilsan Forest Road)	Km.	11.4	8.00	10.00	29.40	5.00	4.00	3.00	12.00
	(iii) Construction of Protection wall	Km.	0.5	0.3	0.2	1	28.81	17.29	11.52	57.62

(iv) Field Attendant for patrolling on daily basis for wildlife Monitoring (1 @ 12415x12 Month=148980 per year)	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	4.46	4.46	4.46	13.38
(iv) Expenditure of fuel for Patrolling Vehicle	-	-	-	-	-	1.50	1.50	1.50	4.50
Total						44.77	27.25	20.48	92.50
Total						148.58	89.97	35.61	274.16
Contingency 2%						2.97	1.79	0.71	5.48
GRAND TOTAL						151.55	91.76	36.32	279.64

प्रभारी वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

सप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
आसारोड़ी रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

प्रतिष्ठापक
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

Cumulative Physical & Financial targets (with details of sites)													
Physical and financial targets for the 03-year period of the project, including the structures to be created and works to be carried out in different sites, as per the field survey are stated in this chapter. The details of entire project are stated below:													
Details of works done in different sites along with financial outlay													
S. No.	Component	Name of site	GPS	Unit	Physical				Financial (Rs. in lac.)				Total
					2024-25	2025-26	2026-27	Total	2024-25	2025-26	2026-27	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Integrated Biodiversity Conservation & Wildlife Mitigation Plan													
1	Habitat improvement												
	(i) Lantana Eradication (Work will be done in 3years)	Arcedia-1	N30°18'49.207"	Ha	30	30	30	90	9.31	9.62	1.19	20.12	
			E77°55'01.666"										
		Arcedia-2	N30°19'0.445"	Ha	10	10	10	30	3.09	3.20	0.39	6.68	
			E77°56'32.484"										
		Arcedia-3	N30°18'22.572"	Ha	25	25	25	75	7.74	8.01	0.99	16.74	
			E77°56'49.717"										
		Arcedia-4	N30°17'50.752"	Ha	10	10	10	30	3.09	3.20	0.39	6.68	
			E77°56'57.473"										
		Laldhang-1b	N30°28'83.43"	Ha	10	10	10	30	3.09	3.20	0.39	6.68	
			E77°95'07.82"										
		Laldhang-2a	N30°28'40.66"	Ha	20	20	20	60	6.19	6.41	0.79	13.39	
			E77°96'08.16"										
		Chandraba ni-2	N 30°16'23"	Ha	40	40	40	120	12.39	12.82	1.59	26.8	
			E77°58'29"										

Total	(ii) Augmenting water regime by creating water structure	Arcedia-1	N30°18'49.207" E77°55'01.666"	Ha	145	145	145	435	44.90	46.46	5.73	97.09
		Arcedia-2	N30°19'0.445" E77°56'32.484"	No.	1	—	1	2	1.30	1.30	2.60	5.20
		Arcedia-3	N30°18'22.572" E77°56'49.717"	No.	2	2	—	4	2.60	2.60	—	5.20
		Laldhang-2a	N30°28'40.66" E77°56'08.16"	No.	2	—	—	4	2.60	—	2.60	5.20
		Chandraba ni-2	N 30°16'23" E77°58'29"	No.	2	2	—	4	2.60	2.60	—	5.20
	Total			No.	8	5	5	18	10.40	6.50	6.50	23.40
2	(v) Plantation of Fruit Species											
	Plantation	Arcedia-1	N30°18'49.207" E77°55'01.666"	Ha	15	—	—	15	35.89	9.24	2.38	47.51
	Ist Year	—	—	—	15	—	—	15	35.89	—	—	—
	IInd Year	—	—	—	15	15	—	15	—	9.24	—	—
	IIIrd Year	—	—	—	—	—	15	15	—	—	2.38	—
	Equipment											
	(i) Camera Traps			No.	10	—	—	10	2.50	—	—	2.50
	(ii) Battery for camera trap			No.	40	40	—	120	0.02	0.02	0.02	0.06
	(iii) GPS			No.	10	—	—	10	2.00	—	—	2.00
	(iii) Drones			No.	1	—	—	1	2.50	—	—	2.50

	(iv) Binoculars			No.	2	-	-	-	2	0.50	-	-	0.50
	(vii) (Computers & Printers, UPS)			No.	2	-	-	-	2	1.50	-	-	1.50
	(viii) Torches for Patrolling			No.	20	-	-	-	20	1.00	-	-	1.00
	(viii) Other rescue related expenditures			L.S	L.S	L.S	L.S	-	L.S	1.00	-	-	1.00
	(ix) Fox light/LED Light(1km Range)			No.	3	-	-	-	3	0.60	-	-	0.60
	Total									11.62	0.02	0.02	11.66
3	Signages	-	-	No.	10	5	5	5	20	1.00	0.50	0.50	2.00
	Total									1.00	0.5	0.5	2.00
4	Forest Protection works												
	(i) Maintenance of Inspection/ patrolling bridle path			Km.	15	0	0	0	15	5.00	0.00	0.00	5.00
	(ii) Maintenance of Forest Roads	Wilsan Forest Road	N30°14'16.30" E77°57'50.10" N30°17'17.10" E77°54'46.20"	Km.	11.4	8.00	10.00		29.40	5.00	4.00	3.00	12.00
	(iii) Construction of Protection wall	Arcedia-3	N30°18'22.572" E77°56'49.717"	Km.	0.50	-	-	-	0.50	28.81	-	-	28.81
		Arcedia-1	N30°18'49.207"		-	0.30	-	-	0.30	-	17.29	-	17.29

पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए मृदा की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। पानी की मात्रा बढ़ाने और साथ ही मृदा के कटाव को रोकने के लिए वाटर होल, कंटूर ट्रेच व इनमें नेपियर घास का रोपण, चैक डैम आदि कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

चाल खाल, कंटूर ट्रेच, परकुलेशन टैंक का निर्माण— ग्रीष्म ऋतु में क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए पानी उपलब्ध रहें तथा क्षेत्र में नमी बनी रहे, साथ ही रन ऑफ को कम करके Percolation व Infiltration बढ़ाये जाने के लिए उपयुक्त स्थलों पर चाल खाल, कंटूर ट्रेच का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है।



Components of Soil & Moisture Conservation Plan										
S. No.	Component	Unit	Physical				Financial			
			2024-25	2025-26	2026-27	Total (Phy)	2024-25	2025-26	2026-27	Total Amount (in Lakhs)
1	Water Hole	NO	10	4	4	18	11.20	4.48	4.48	20.16
2	Contour trenches	R.M	2500	2000	1000	5500	1.00	0.80	0.40	2.20
3	(i) Plantion of Napier Grass on the Contour trenches	R.M	2500	2000	1000	5500	4.47	5.17	2.59	14.23
4	Geo Synthetic/Metal Crate Wire Check Dams	No.	10	5	-	15	10.00	5.00	-	15.00
5	Crate Wire side wall to prevent soil erosion	R.M	140	50	50	240	14.00	5.00	5.00	24.00
	Total	-	-	-	-	-	42.670	20.450	12.470	75.590
	Contingency 2%	-	-	-	-	-	0.8534	0.409	0.2494	1.5118
	GRAND TOTAL	-	-	-	-	-	43.523	20.859	12.719	77.102

अनुमोदित
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
आसारोड़ी रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Soil & Moisture Conservation Plan

Details of works done in different sites along with financial outlay

S. No.	Component	Name of site	GPS	Unit	Physical				Financial			
					2024-25	2025-26	2026-27	Total (Phy)	2024-25	2025-26	2026-27	Total Amount (in Lakhs)
1	Percolation Tank/Dug out pond	Arcedia-1	N30°18'49.207"	No.	2	—	2	4	2.24	—	2.24	4.48
			E77°55'01.666"									
		Arcedia-2	N30°19'0.445"	No.	2	—	—	2	2.24	—	—	2.24
			E77°56'32.484"									
		Arcedia-3	N30°18'22.572"	No.	2	2	—	4	2.24	2.24	—	4.48
			E77°56'49.717"									
2	Contour trenches	Laldhang-2a	N30°28'40.66"	No.	2	—	2	4	2.24	—	2.24	4.48
			E77°96'08.16									
		Chandrabani-2	N30°16'23"	No.	2	2	—	4	2.24	2.24	—	4.48
			E77°58'29"									
		Total		No.	10	4	4	18	11.20	4.48	4.48	20.16
2	Contour trenches	Arcedia-2	N30°18'59.955"	Rmt	500	500	—	1000	0.20	0.20	—	0.40
			E77°56'31.549"									
		Laldhang-2a	N30°28'40.66"	Rmt	1000	500	—	1500	0.40	0.20	—	0.60
			E77°96'08.16									
		Chandrabani-2	N30°16'23"	Rmt	1000	1000	1000	3000	0.40	0.40	0.40	1.20
			E77°58'29"									
2	Total				2500	2000	1000	5500	1.00	0.80	0.40	2.20

3	(i) Plantion of Napier Grass on the Contour trenches	Arcedia-2	N30°18'59.955" E77°56'31.549"	Rmt	500	500	-	1000	1.29	1.29	-	2.58
		Laldhang-2a	N30°28'40.66" E77°96'08.16	Rmt	1000	500	-	1500	2.59	1.29	-	3.88
		Chandrabani-2	N30°16'23" E77°58'29"	Rmt	1000	1000	1000	3000	3.88	2.59	2.59	7.77
	Total				2500	2000	1000	5500	4.77	5.17	2.59	14.23
4	Geo Synthetic/ Metal Crate Wire Check Dams	Khuni Khala	N30°14'56" E77°58'10"	No.	10	5	-	15	10.00	5	-	15.00
	Total				10	5	-	15	10.00	5	-	15.00
5	Crate Wire side wall to prevent soil erosion	Teli rau	N-30°15'18.56" E-77°57'06.84"	Rmt	-	50	50	100	-	5.00	5.00	10.00
		Dhuaba Rau	N30°14'47" E77°57'20"	Rmt	140	-	-	140	14.00	-	-	14.00
6	Total				140	50	50	240	14.00	5.00	5.00	24.00
	Total				-	-	-	-	42.670	20.450	12.470	75.590
	Contingency 2%				-	-	-	-	0.8534	0.409	0.2494	1.5118
	GRAND TOTAL				-	-	-	-	43.523	20.859	12.719	77.102

वन क्षेत्रधिकारी
आसारीडी रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

उपभोगीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

प्रभोगीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

वन संरक्षक
शिवालिक वृक्ष
उत्तराखण्ड, देहरादून

①

नोसल